न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 119/2016 (उदयपुर डिक्री)

भेरूलाल पिता जगन्नाथ जी डांगी, वसीयतग्रहिता श्रीमती रोड़ीबाई पुत्री केशा जी डांगी पत्नी टीला जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. जगन्नाथ पिता चोखा जी डांगी, निवासी कानपुर मृतक के बजाय :–

1/1. श्रीमती दाखीबाई बेवा जगन्नाथ डांगी, नि. कानपुर, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर

2. श्रीमती कन्नी पुत्री गोकल जी डांगी, नि0 कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

3. श्रीमती मांगी पुत्री गोकल जी डांगी, नि0 कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

4. जगन्नाथ पिता रामा जी डांगी, निवासी कानपुर मृतक के बजाय :–

4/1. माना पिता जगन्नाथ जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

4/2. मोड़ा पिता जगन्नाथ जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

4/3. डूंगा पिता जगन्नाथ जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

5. थावरचन्द पिता माणकचन्द जी जैन, निवासी कानपुर मृतक के बजाय :–

5/1. लोकेश पिता थावरचन्दजी जैन, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

5/2. श्रीमती गुड्डी पुत्री थावरचन्द जैन, नि0 कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

6. भीमराज पिता माणकचन्द जी जैन, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

7. बसन्तीलाल पिता भीमराजजी जैन, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

8. गुलाबचन्द पिता माणकचन्द जैन, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

2. प्रकरण संख्या 121/2016 (उदयपुर डिक्री)

भेरूलाल पिता जगन्नाथ जी डांगी, वसीयतग्रहिता श्रीमती रोड़ीबाई पुत्री केशा जी डांगी पत्नी टीला जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. जगन्नाथ पिता चोखा जी डांगी, निवासी कानपुर मृतक के बजाय :–

1/1. श्रीमती दाखीबाई बेवा जगन्नाथ डांगी, नि. कानपुर, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

2. श्रीमती कन्नी पुत्री गोकल जी डांगी, नि0 कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्रीमती मांगी पुत्री गोकल जी डांगी, नि0 कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. जगन्नाथ पिता रामा जी डांगी, निवासी कानपुर मृतक के बजाय :–

4/1. माना पिता जगन्नाथ जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

4/2. मोड़ा पिता जगन्नाथ जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

4/3. डूंगा पिता जगन्नाथ जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

5. थावरचन्द पिता माणकचन्द जी जैन, निवासी कानपुर मृतक के बजाय :–

5/1. लोकेश पिता थावरचन्दजी जैन, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

5/2. श्रीमती गुड्डी पुत्री थावरचन्द जैन, नि0 कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

6. भीमराज पिता माणकचन्द जी जैन, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
7. बसन्तीलाल पिता भीमराजजी जैन, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
8. गुलाबचन्द पिता माणकचन्द जैन, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा–223 राज.का.अधि.
1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा प्रा.डिक्री दि॰10.02.1997 व अंतिम
डिक्री दि॰ 13.10.1997 प्र.सं. 159/94

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1. श्री पुनीत समनानी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजमल राव अभिभाषक रेस्पो.सं. 1/1
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 30–10–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कानुपर में साबिक बन्दोबस्त की आराजी नंबर 127, 128, 129, 249, 262, 266, 284, 285, 286, 320, 614, 1186 1269, 1270/2 कुल किता 14 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात के वर्तमान आ[illegible] 166, [illegible] 171, 172, 188, 189, 191, 200, 203, 204, 270, 271, 800, 1524, 1525, [illegible] कुल किता 17 रकबा 3.6150 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष हेमा जी होकर उनके दो पुत्र केशा जी व चोखा हुए। केशा पुत्र गोकल हुए एवं गोकल की पुत्रियां वादिया हैं, जबकि चोखा का पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 है। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज काश्त हैं, किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने केशा जी विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोल दिया, जो वादीगण के मुकाबले शून्य हैं। आराजी चाह नंबर 1290/1 रकबा 2 बिस्वा में भी वादिया का 1/10 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजियात विक्रय करने पर आमादा हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाये तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर विवादित आराजियात में वादीगण को कोई हिस्सा नहीं होने का कथन किया तथा वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 7 तनकियां कायम की एवं अपने निर्णय दिनांक 10—02—1997 से वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13—10—1997 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10—02—1997 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 121/2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13—10—1997 के विरूद्ध अपील संख्या 119/2016 इस न्यायालय में दिनांक 26—10—2016 को प्रस्तुत की गयी है।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 की ओर से वकील राजमल राव उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने से तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 153/1994 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 ने गलत सजरा बताकर वाद प्रस्तुत किया है। प्रकरण में रोड़ी बाई केशा जी जाईन्दा पुत्री होकर जीवित था, जिसे बिना पक्षकार बनाये वाद डिक्री करवा लिया, जबकि रोड़ी बाई का भी विवादित आराजियात में वादिया के बराबर हिस्सा है। रोड़ी बाई ने रजिस्टर्ड वसीयत प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में कर दी, जिससे प्राथी रोड़ी बाई के हिस्से की आराजियात का मालिक है। इस कारण वह हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड वसीयत विलेख की प्रमाणित प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से हम अपीलान्ट को प्रभावित पक्षकार पाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, जिससे उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। प्रथम बार दिनांक 26–09–2016 को जानकारी होने पर नकलें प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः न्यायहित में दोनों अपीलों में विलम्ब कण्डोन किया जाकर अपीलें प्रस्तुत किये जाने का आदेश फरमाया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व से हो इस बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः अखण्डित शपथ पत्र व प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 ने गलत सजरा प्रस्तुत किया है। सही सजरा अपील की कलम संख्या [illegible] अनुसार होकर मूल पुरूष हेमा जी होकर उनके दो पुत्र केशा जी व [illegible] हुए [illegible] केशाजी के एक पुत्र गोकल व एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

पुत्री रोड़ी बाई हुई। गोकल की पुत्रियां रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 हैं, जबकि रोड़ी बाई ने अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत की है, जिससे रोड़ीबाई के हिस्से का मालिक काबिज अपीलान्ट है। चोखा का पुत्र अपीलान्ट संख्या 1 है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपीलान्ट को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है एवं गलत सजरा प्रस्तुत कर वाद डिक्री करा लिया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10–02–1997 में संशोधन करते हुए उपरोक्त आराजियात में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार अपीलान्ट को व 1/4 हिस्से का खातेदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को घोषित किया जावे। इसी प्रकार अंतिम डिक्री दिनांक 13–10–1997 में संशोधिन किया जाकर आराजी नंबर 166, 171, 200, 203, 270, 271 व 800/1 कुल किता 7 रकबा 1.6650 हैक्टर में 1/2 हिस्से का अपीलान्ट को व 1/2 हिस्से का खातेदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को घोषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खाते व कब्जे की है, जिससे अन्य किसी पक्षकार का कोई संबंध नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है तथा आराजी नंबर 1987 रकबा 0.0250 हैक्टर, आराजी नंबर 1988 रकबा 0.0300 हैक्टर, आराजी नंबर 188 रकबा 0.0950 हैक्टर व आराजी नंबर 189 रकबा 0.0850 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय कर दिये जाने से उसके हिस्से से कम किये जाने का अंकन किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत है, किन्तु चूंकि वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा सजरे में केशा की पुत्री रोड़ीबाई का अंकन नहीं किया है, जबकि रोड़ीबाई केशा की जाईन्दा पुत्री होने से उसका भी केसा के पुत्र गोकल के समान केसा के हिस्से में 1/2 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण आराजियात में 1/4 हिस्सा था। रोड़ीबाई द्वारा अपने हिस्से की समस्त आराजियात की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 01–11–2001 को अपीलान्ट के पक्ष में कर दिये जाने से रोड़ीबाई के उक्त 1/4 हिस्से का मालिक काबिज अपीलान्ट होना साबित है। इस प्रकार वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है, उसमें 1/2 हिस्से का अर्थात सम्पूर्ण आराजियात के 1/4 हिस्से का खातेदार अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

होना साबित है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री में संशोधन करते हुए दोनों अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती हैं।

अतः उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10–02–1997 में संशोधन करते हुए प्रारम्भिक डिक्री में वर्णित वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के 1/2 हिस्से में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार अपीलान्ट को व 1/4 हिस्से का खातेदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को घोषित किया जाता है तथा अंतिम डिक्री दिनांक 13–10–1997 में संशोधिन किया जाकर आराजी नंबर 166, 171, 200, 203, 270, 271 व 800/1 कुल किता 7 रकबा 1.6650 हैक्टर में 1/2 हिस्से का खातेदार अपीलान्ट को एवं 1/2 हिस्से का खातेदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को घोषित किया जाता है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

भैरूलाल पिता जगन्नाथ डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर। बनाम जगन्नाथ के बजाज दाखीबाई पत्नी स्वर्गीय जगन्नाथ, निवासी कानपुर, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं......121/2016........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
...........गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.........10............माह...............02...............1997.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........30.........माह.............10.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी.............श्री पुनीत समनानी..............मिनजानिब अपीलान्ट व..............श्री राजमल राव

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10–02–1997 में संशोधन करते हुए प्रारम्भिक डिक्री में वर्णित आराजियात में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के 1/2 हिस्से में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार अपीलान्ट को व 1/4 हिस्से का खातेदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को घोषित किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)..........रूपये .... X......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख...........30.............माह............10..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर पशीकेन का कुल खर्चा अपील का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

भैरूलाल पिता जगन्नाथ डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर। बनाम जगन्नाथ के बजाज दाखीबाई पत्नी स्वर्गीय जगन्नाथ, निवासी कानपुर, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं......119/2016........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
...........गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.........13...........माह...............10..............1997.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........30.........माह.............10.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी.............श्री पुनीत समनानी..............मिनजानिब अपीलान्ट व..............श्री राजमल राव

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13—10—1997 में संशोधिन किया जाकर आराजी नंबर 166, 171, 200, 203, 270, 271 व 800/1 कुल किता 7 रकबा 1.6650 हैक्टर में 1/2 हिस्से का खातेदार अपीलान्ट को एवं 1/2 हिस्से का खातेदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को घोषित किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)..........रूपये .... X......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख...........30............माह...........10.............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested